केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण
सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9450567450
9336715406

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :46 अंक 258 गुरूवार 17 अप्रैल 2025 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

रोजगार मेले में होगी महिला कंडक्टरों की भर्ती

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। परिवहन निगम में महिला कंडक्टरों के भर्ती की प्रक्रिया में तेजी आई है। रोजगार मेला के तहत उन्हें सीधे अनुबंध का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए आईटीआई, कौशल विकास मिशन, आजीविका मिशन और एनसीसी, एनएसएस के जरिये महिलाओं की सूची मांगी गई है। बता दें कि परिवहन निगम में कंडक्टर की कमी को पूरा करने के लिए इस बार महिलाओं को कंडक्टर पद पर भर्ती किया जा रहा है। प्रदेशभर में पांच हजार पद संविदा पर भरे जाएंगे। इसके लिए परिक्षेत्रवार रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। गोरखपुर परिक्षेत्र में 17 अप्रैल को रोजगार मेले का आयोजन क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में होगा।

फंदे से लटका मिला युवक और विवाहिता शव

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती लालगंज व कलवारी थानाक्षेत्र में एक युवक व एक विवाहिता का शव संदिग्ध हालत में फंदे से लटकता मिलने से सनसनी मच गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। लालगंज थानाक्षेत्र के परसांव निवासी लल्लू का 28 वर्षीय बेटा पंकज का शव घर से कुछ दूरी पर मंगलवार की देर रात जामुन के पेड़ से लटकता मिला। रस्सी के सहारे लटक रहे शव को देख ग्रामीणों ने सूचना परिवारवालों को दी। मौके पर पहुंचे परिजन जिन्दा होने की आस में रस्सी काटकर उसे नीचे उतारा और सीएचसी ले गए। जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंचे एसआई रामप्रकाश यादव ने बताया कि युवक की मानसिक हालत ठीक नहीं थी और उसकी दवा चल रही थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।

वहीं कलवारी थानाक्षेत्र के छरदही में एक विवाहिता का शव संदिग्ध हाल घर के छत के कुंडे से लटकता मिला। घटना की जानकारी परिजनों को हुई तो सूचना पुलिस को दी। पुलिस संग पहुंची फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। थानाध्यक्ष जनार्दन प्रसाद ने बताया कि घटना की जानकारी मायके पक्ष को दे दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। घटना की वजह का पता लगाया जा रहा है।

लोक अदालत 10 मई को

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 10 मई 2025 को जनपद न्यायाधीश विनय कुमार द्विवेदी के निर्देशन में जनपद न्यायालय परिसर, कलेक्ट्रेट मुख्यालय एवं समस्त तहसील मुख्यालयों में किया जायेंगा। उक्त जानकारी देते हुए अपर जिला जजध्सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिल कुमार गपअ ने बताया है कि अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर सुलह–समझौते के आधार पर निस्तारण करायें।

उन्होने बताया कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा–138 से संबंधित मामलें, बैंक वसूली से संबंधित मामलें, मोटर दुर्घटनाओं से संबंधित प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वादों, पारिवारिक वादों, भूमि अधिग्रहण से संबंधित वादों, विद्युत एवं जलकर विवाद (चोरी से संबंधित विवादों सहित), सर्विस में वेतन संबंधी विवाद एवं सेवानिवृत्तिक लाभों से संबंधित विवाद, राजस्व संबंधी वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद, आर्बिटेशन (हायर पर्चेज एग्रीमेन्ट से उत्पन्न विवाद) एवं उक्त के अतिरिक्त ऐसे अन्य प्रकार के जिन वादों का निस्तारण सुलह–समझौते के आधार पर हो सकता है, को अधिक से अधिक संख्या में नीयत कर निस्तारित किया जायेंगा।

वक्फ संशोधन अधिनियम की याचिकाओं पर सुप्रीम सुनवाई शुरूः आप अतीत को दोबारा नहीं लिख सकते

–क्या हिन्दू संस्थाओं में मुस्लिम होंगे

नई दिल्ली (आभा)। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली तीन जजों की खंड पीठ ने आज (बुधवार, 16 अप्रैल को) वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 70 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी और सी यू सिंह समेत अन्य कई पेश हुए, जबकि केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की।

याचिका में तर्क दिये गये हैं कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का सरासर उल्लंघन करता है। मुस्लिम पक्ष ने आज अदालत से इस मामले में अंतरिम राहत की मांग की लेकिन केंद्र ने उस पर कोई फैसला देने से पहले सुनवाई की मांग की। लिहाजा, कोर्ट ने कोई आदेश जारी नहीं किया। हालांकि, कोर्ट अंतरिम आदेश जारी करना चाहता था लेकिन एसजी की आपत्ति के बाद उसे टाल दिया गया। अब कल दोपहर दो बजे फिर सुनवाई होगी और संभवतरू कोई अंतरिम आदेश जारी हो सकता है। कोर्ट ने वक्फ एक्ट के खिलाफ हो रही हिंसा पर चिंता जताई और कहा कि हिंसा नहीं होनी चाहिए।

करीब दो घंटे तक चली गरमागरम सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और सॉलिसिटर जनरल दोनों से कई सवाल पूछे। मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र सरकार की पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, 'आप बाय यूजर वक्फ को कैसे रजिस्टर करेंगे जो लंबे समय से वहां हैं? उनके पास क्या दस्तावेज होंगे? इससे तो कुछ गलत हो सकता है। कुछ दुरुपयोग भी हुआ है। अगर आप इसे रद्द करते हैं, तो यह एक समस्या होगी।'

सीजेआई ने पूछा, 'जब किसी 100 या 200 साल पुराने सार्वजनिक ट्रस्ट को वक्फ घोषित किया जाता है तो आप आप कहते हैं कि इसे वक्फ बोर्ड द्वारा अधिग्रहित किया जा रहा है और आप इसे अनुचित करार देते हैं।' इस पर सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा, यह सही नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास वक्फ है तो आप इसके बजाय ट्रस्ट बना सकते हैं। यह एक सक्षम प्रावधान है।' इस पर सीजेआई ने कहा, 'आप अतीत को फिर से नहीं लिख सकते!'

सीजेआई और एसजीके बीच एक और गरमाहरम बहस तब हुई जब मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'तो, ऐक्ट के अनुसार, वक्फ बोर्ड में आठ सदस्य मुस्लिम हैं। दो पदेन सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं। फिर बाकी भी क्या गैर–मुस्लिम हो सकते हैं।' इस पर सॉलिसिटर जनरल मेहता ने टिप्पणी की, 'तो यह पीठ भी इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकती।' इस पर सीजेआई खन्ना ने पलटवार किया, "क्या? जब हम यहां बैठते हैं, तो हम अपना धर्म खो देते हैं। हमारे लिए, दोनों पक्ष एक जैसे हैं। आप इसकी तुलना न्यायाधीशों से कैसे कर सकते हैं?"जस्टिस खन्ना ने पूछा, 'फिर हिंदू बंदोबस्ती के सलाहकार बोर्ड में मुस्लिम क्यों नहीं हैं? क्या आप यह कह रहे हैं कि अब से आप मुस्लिमों को हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड का हिस्सा बनने की अनुमति देंगे। खुलकर कहिए।' इस पर सॉलिसिटर जनरल मेहता ने अदालत को बताया कि आप एक ऐसे कानून से निपट रहे हैं, जिसे लागू करने से पहले उस एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई थी। उनकी 38 बैठकें हुईं। इसने कई क्षेत्रों का दौरा किया। 98 लाख से अधिक ज्ञापनों की जांच की। इसके बाद यह संसद के दोनों सदनों में गया और फिर कानून पारित हुआ।

मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा, 'हमें बताया गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय वक्फ भूमि पर बना है.. हम यह नहीं कह रहे हैं कि सभी वक्फ का उपयोग गलत है, लेकिन यह एक वास्तविक चिंता है।'

खैर इण्टर कालेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य बने फैज आलम अंसारी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। खैर इण्टर कालेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में फैज आलम अंसारी ने बुधवार को अपना कार्यभार ग्रहण किया। प्रधानाचार्य ने बताया कि बेहतर शिक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। जिला विद्यालय निरीक्षक जगदीश प्रसाद शुक्ल के दिशा निर्देश के अनुरूप उन्होने अपना कार्यभार संभाला।

ज्ञात रहे कि कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में फैज आलम अंसारी की नियुक्ति को लेकर विवाद था जिसका जिला विद्यालय निरीक्षक ने निस्तारण कर दिया।

बाबा साहब पर केन्द्रित सांस्कृतिक कार्यक्रम 19 को, हिस्सा लेंगे राष्ट्रीय मिशन गायक

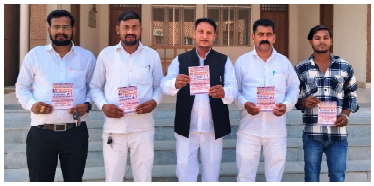

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। भारत रत्न बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर जयन्ती के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का सिलसिला अनवरत जारी है। आगामी 19 अप्रैल को भीम पाठशाला समिति द्वारा मलिकपुरवा अम्बेडकर पार्क निकट प्लास्टिक काम्पलेक्स में सायं 4 बजे से राष्ट्रीय मिशन गायक सपना बौद्ध और 'विशाल गाजीपुरी का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भीम पाठशाला के अध्यक्ष रामशंकर आजाद और संस्थापक कोषाध्यक्ष मूलचंद आजाद, मंडल अध्यक्ष रंजीत कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि राष्ट्रीय मिशन गायक कार्यक्रम के साथ ही बाबा साहब पर केन्द्रित गोष्ठी में उनके योगदान पर चर्चा होगी।

संस्थापक महासचिव, विक्रम गौतम एडवोकेट, जिला अध्यक्ष, राना प्रवीण कुमार, विशाल कुमार ने बताया कि कार्यक्रम की सफलता के लिये व्यापक स्तर पर जन सम्पर्क किया जा रहा है।

डा. वी.के. वर्मा अध्यक्ष राजेश चौधरी महामंत्री बने

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बुधवार को रिसर्च सोसायटी ऑफ होम्योपैथी इण्डिया बस्ती शाखा की बैठक पटेल एस.एम.एच. हास्पिटल गोटवा में राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. सी.पी. सिंह के दिशा निर्देश के अनुरूप सम्पन्न हुई। बैठक में सर्व सम्मत से डा. वी.के. वर्मा अध्यक्ष, डा. राजेश कुमार चौधरी महामंत्री, डा. आर.पी. मौर्या, डा. राधेश्याम वर्मा, डा. बी.बी. मिश्रा संरक्षक, डा. धर्मेन्द्र चौधरी, डा. धर्मेन्द्र चौधरी '2' वरिष्ठ उपाध्यक्ष, डा. बी.एल. वर्मा, डा. एस.के. तिवारी उपाध्यक्ष, डा. रवि वर्मा संयुक्त मंत्री, डा. अवनीश चौधरी सह संयुक्त मंत्री, डा. नरेन्द्र चौधरी संगठन मंत्री, डा. कमल वर्मा संगठन सचिव, डा. सौरभ श्रीवास्तव संयोजक, डा. अरविन्द प्रकाश गौड़ कोषाध्यक्ष, डा. मनीष यादव उप कोषाध्यक्ष, डा. एस.के. चौधरी मीडिया प्रभारी, डा. संजय कुमार सह मीडिया प्रभारी घोषित किये गये।

यह जानकारी देते हुये रिसर्च सोसायटी ऑफ होम्योपैथी जिलाध्यक्ष डा. वी.के. वर्मा ने बताया कि इसके अतिरिक्त डा. पवन मिश्रा, डा. सत्यानन्द पटेल, डा. गुलाबचन्द्र वर्मा, डा. कौशल किशोर कसौधन, डा. आशुतोष गुप्ता, डा. वी.पी. चौरसिया, डा. राजेश गुप्ता, डा. आर.एस. यादव, डा. राजीव कुमार कौशल, डा. हरिकेश यादव और डा. दिनेश सिंह कुशवाहा को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है।

–रिसर्च सोसायटी ऑफ होम्योपैथी इण्डिया का गठन

नेशनल हेराल्ड मामलाः सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर ईडी द्वारा चार्जशीट दाखिल किये जाने के विरोध में भड़के कांग्रेसी, किया प्रदर्शन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विरूद्ध प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा चार्ज शीट दाखिल किये जाने के विरोध में बुधवार को राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के आवाहन पर पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी के नेतृत्व में आयकर कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता शास्त्री चौक से सरकार विरोधी नारा लगाते हुये आयकर कार्यालय पहुंचे और धरना दिया।

धरने को सम्बोधित करते हुये कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के बढते जनाधार और विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष किये जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी भयभीत हो गयी है और ईडी का भय दिखाकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी को जेल में भेज देना चाहती है। कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है।

पूर्व विधायक अम्बिका सिंह ने कहा कि जो कांग्रेस अंग्रेजी हुकूमत से नहीं डरी वह भाजपा से डरने वाली नहीं है। अदालत में मामला साफ हो जायेगा। सच तो ये है कि भाजपा कांग्रेस के विरूद्ध सुनियोजित षड़यंत्र कर रही है जिसे देश की जनता समझ चुकी है। उसके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे।

–भाजपा और ईडी से डरने वाली नही है कांग्रेस– विश्वनाथ चौधरी

आयकर कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करने वालों में मुख्य रूप से पूर्व विधायक राम जियावन, ज्ञानेन्द्र पाण्डेय, कौशल त्रिपाठी, बाबूराम सिंह, आलोक रंजन वर्मा, सुरेन्द्र मिश्र, गिरजेश पाल, साधू शरन आर्य, डा. दीपेन्द्र सिंह, अमित प्रताप सिंह, अवधेश सिंह, गंगा प्रसाद मिश्र, अनिल त्रिपाठी, राज बहादुर निषाद, डा. वाहिद अली सिद्दीकी, डा. मारूफ अली, अशोक श्रीवास्तव, अतीउल्ला सिद्दीकी, शिव विभूति मिश्र, चन्द्रशेखर, लालजी पहलवान, शौकत अली नन्हू, मो. अलीम, सर्वेश शुक्ल, दीनानाथ शास्त्री, लक्ष्मी यादव, रामधीरज चौधरी, राम बहादुर सिंह, मंजू पाण्डेय, साधूसरन पाण्डेय, मो. अशरफ, सद्दाम हुसेन, सुधीर यादव, उमाशंकर त्रिपाठी, राजू, कन्नौजिया, अभिषेक सिंह सूर्यवंशी, विन्दा यादव के साथ ही कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल रहे।

ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से किया पूछताछ

नई दिल्ली (आभा)। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने लगातार दूसरे दिन मैराथन पूछताछ की है। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से 2008 के हरियाणा के एक लैंड डील से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ की है और उनके बयान दर्ज किए हैं। रॉबर्ट वाड्रा को गुरुवार को भी पेश होने के आदेश दिए गए हैं। इस दौरान रॉबर्ट वाड्रा ने जांच एजेंसी पर तंज कसते हुए कहा है कि ईडी उन्हें बहुत चाहती है और इसीलिए उन्हें बार–बार पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि यह मामला 20 साल पुराना है और इस मामले में उन्हें हरियाणा सरकार ने क्लीन चिट भी दे दी है लेकिन उनसे राजनीतिक प्रतिशोध लिया जा रहा है।

राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा ने बुधवार को कहा है कि जांच एजेंसियां उन्हें सिर्फ और सिर्फ इसलिए निशाना बना रही हैं क्योंकि वह गांधी परिवार का हिस्सा हैं और अगर वह भाजपा का हिस्सा होते तो चीजें अलग होतीं। इस दौरान रॉबर्ट वाड्रा ने राजनीति में आने के भी संकेत दिए हैं। वाड्रा ने कहा कि अब वह लगभग एक कार्यकर्ता बन चुके हैं और जल्द ही राजनीति में शामिल होंगे।`

दामाद को लेकर भागी सास गिरफ्तार

अलीगढ (आभा)। बेटी की शादी से दस दिन पहले होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई सास को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के फरार होने के बाद से पुलिस इनकी तलाश में जुटी थी। दोनों का मोबाइल ऑफ होने से कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इस बीच मंगलवार को दामाद ने फोन ऑन किया तो पुलिस ने उनकी लोकेशन पर धावा बोल दिया। बुधवार को घेरेबंदी कर दोनों को नेपाल बार्डर से गिरफ्तार कर लिया गया। संयोग से दोनों की गिरफ्तारी भी ठीक उसी दिन हुई जिस दिन बेटी की शादी की तारीख रखी गई थी।

अलीगढ़ के मडराक की रहने वाली शिवानी की शादी दादों के राहुल से तय हुई थी। शादी के लिए 16 अप्रैल की तारीख तय थी। इसी बीच 20 वर्षीय दामाद पर शिवानी की 38 वर्षीय मां का दिल आ गया। दोनों लगातार घंटों मोबाइल पर बातें करने लगे। शिवानी की शादी की तारीख नजदीक आई तो दस दिन पहले 6 अप्रैल को घर से जेवर और नगदी लेकर मां अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ फरार हो गई। परिजनों ने दोनों की खोजबीन के लिए पुलिस से गुहार लगाई। अपने ही दामाद को लेकर सास के फरार होने की जानकारी मिलने पर हर कोई हैरान रह गया। अपने होने वाले पति के साथ मां के फरार होने से बेटी की भी हालत बिगड़ गई। शिवानी अब भी सदमे में ही है।

मामला लगातार सुर्खियों में बना रहा तो पुलिस पर भी दोनों को खोजने का दबाव बढ़ गया। सास–दामाद दोनों का मोबाइल फोन स्विच ऑफ होने से पुलिस को लोकेशन ट्रेस करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ सीसीटीवी फुटेज में दोनों जरूर दिखाई दिए लेकिन कहां गए हैं, यह नहीं पता चल पा रहा था। इस बीच मंगलवार को दामाद ने किसी वजह से अपना मोबाइल फोन ऑन किया तो पुलिस को इसकी सूचना मिल गई। तत्काल लोकेशन ट्रेस कर पुलिस की टीम पहुंच गई। सटीक जानकारी मिलते ही दोनों को नेपाल बॉर्डर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस इन्हें लेकर दादों थाने पहुंची है। दोनों को मडराक थाने लाकर पूछताछ होगी। यह संजोग है कि बेटी की शादी 16 अप्रैल को तय थी और 16 अप्रैल को ही दोनों गिरफ्तार कर लिए गए।

ई–रिक्शा चालकों ने मांगों को लेकर निकाला जुलूस, सौंपा ज्ञापन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। भारत की जनवादी नौजवान सभा के नेतृत्व में ई–रिक्शा चालकों और मालिकों ने न्याय मार्ग स्थित कार्यालय से जुलूस निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय तक जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को संबोधित तीन सूत्रीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा।

ई–रिक्शा चालकों का प्रमुख आरोप है कि आवंटित जोन में स्टीकर वितरण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी है। चालकों का कहना है कि स्टीकर प्राप्त करने में महीने से अधिक का समय लग रहा है, जबकि शहर में बिना स्टीकर के ई–रिक्शा चलाने पर चालान और जुर्माना लगाया जा रहा है, जो उनके लिए उत्पीड़न की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। उनका तर्क है कि जब तक 80: ई–रिक्शाओं को स्टीकर वितरित नहीं हो जाते, तब तक ऐसी सख्ती लागू करना अन्यायपूर्ण है।

दूसरी मांग में चालकों ने कहा कि अधिकांश ई–रिक्शा चालक मरीजों, बुकिंग अथवा माल भाड़ा जैसे विशेष प्रयोजनों में भी ई–रिक्शा का प्रयोग करते हैं। ऐसे मामलों में उन्हें जोनल प्रतिबंध से छूट दी जाए और यदि कोई गलत पाया जाए तो उस पर कार्रवाई की जाए।

जोन आवंटन की असमानता को लेकर संतोष कुमार यादव ने कहा कि वर्तमान जोन सीमाएं विषमता पूर्ण हैं, जिससे चालकों में आक्रोश है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस विषय पर पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक प्रशासन और यूनियन के नामित सदस्यों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की जाए और वार्ता के आधार पर जोन सीमाओं में आवश्यक संशोधन किया जाए।

माकपा नेता शेष मणि ने कहा कि ई–रिक्शा चालक ट्रैफिक व्यवस्था में सहयोग को तैयार हैं, बशर्ते कि उनकी आय के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ई–रिक्शा के पंजीकरण के मुद्दे पर नवनीत यादव ने मांग की कि जिलाधिकारी संबंधित डीलरों को निर्देशित करें कि बिना पंजीकरण के कोई भी ई–रिक्शा डिलीवरी न किया जाए।

जुलूस का नेतृत्व डीवाईएफआई के जिला अध्यक्ष शिव चरण निषाद ने किया। उन्होंने आशा जताई कि जिला प्रशासन ई–रिक्शा चालकों से संवाद स्थापित कर समाधान की दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगा।

जुलूस में माकपा नेता के.के. तिवारी, ध्रुव चंद, राधेश्याम, राम अधारे, नियाज खान, राकेश कुमार सैनिक, शिबू, मकबूल, राहुल, श्रवण कुमार यादव, राहुल भारती सहित अनेक ई–रिक्शा चालक शामिल रहे।

डीएम ने किया पीएमश्री प्राथमिक विद्यालय मूड़घाट का आकस्मिक निरीक्षण किया

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने विकास खण्ड सदर के पीएमश्री प्राथमिक विद्यालय मूड़घाट का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होने पाया कि विद्यालय के सहायक अध्यापकध्अध्यापिका उपस्थित है तथा विद्यालय में स्मार्ट कक्ष बना हुआ है। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों से उन्होने अंग्रेजी, गणित व हिन्दी का प्रश्न पूछा एवं संबंधित किताबों को पढ़वाया गया। बच्चों द्वारा संतोषजनक उत्तर दिया गया। एमडीएम में बने भोजन को चखकर देखा और गुणवत्ता अच्छी पायी गयी।

विद्यालय के प्रधानाध्यापक सर्वेष्ट मिश्र द्वारा अवगत कराया कि स्मार्ट कक्ष में जन सहयोग से सीसीटीवी कैमरा व स्मार्ट बोर्ड को लगवाया गया है। प्रधानाध्यापक के इस लगन एवं प्रयास की उन्होने सराहना किया। उन्होने यह भी बताया कि विद्यालय परिसर में पुरानी बिल्डिंग को तोड़ी गयी है किन्तु भूमि विद्यालय के नाम न होने के कारण नवीन भवन का निर्माण नहीं हो सका। उन्होने बच्चों के खेल के लिए भूमि की मॉग की। इस पर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया कि भूमि का स्थानान्तरण यथाशीघ्र करवा दिया जाय। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहें।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 17 अप्रैल 2025 गुरूवार

सम्पादकीय

मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी

हाल ही में मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत लाने और अब बेल्जियम में सबसे बड़ी बैंकिंग धोखाधड़ी करके फरार हुए हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी के गहरे निहितार्थ हैं। इससे देश में अपराध करके भागने वालों के लिये सख्त संदेश जाएगा कि वे साफ बचकर नहीं निकल सकते। जांच एजेंसियों की सतर्कता, अधिकारियों की तत्परता और सत्ताधीशों की सजगता स्थितियां बदल सकती है। बहरहाल, चोकसी की गिरफ्तारी से यह उम्मीद जरूर जगी है कि देर–सवेर भारत लाकर उस पर मुकदमा चलाया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि साल 2018 में देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले के जरिये चोकसी एंड पार्टी ने पूरे देश की बैंकिंग व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। चोकसी पर आरोप है कि उसने पंजाब नेशनल बैंक के साथ करीब तेरह हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी। आरोप है कि इस घोखाधड़ी में कथित तौर पर बैंक अधिकारियों और अन्य लोगों की भी गहरे तक मिलीभगत थी। दरअसल, इस बड़े घोटाले के सार्वजनिक होने से पहले ही मेहुल चोकसी और सह–आरोपी उनका भतीजा नीरव मोदी भारत से भागने में सफल हो गए थे। नीरव को वर्ष 2019 में ब्रिटेन में गिरफ्तार कर लिया गया था। वह अभी भी वहीं हिरासत में है। लेकिन येन–केन–प्रकारेण तथा लगातार नयी दलीलें देकर अपना प्रत्यर्पण टालने में सफल रहा है। दरअसल, पश्चिमी देशों में सशक्त नागरिक व मानव अधिकारों का दुरुपयोग ये अभियुक्त अपनी खाल बचाने के लिये बखूबी करते हैं। दूसरे उनके पास घोटाले का पर्याप्त पैसा है, जिससे वे महंगी कानूनी लड़ाई के जरिये अपना बचाव करने में कामयाब होते रहे हैं। बहरहाल, भले ही चोकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी हो गई है,लेकिन उसकी जल्दी वापसी इतनी भी आसान नहीं है। इस मामले को देख रहे अधिकारियों को अभी लंबी कानूनी लड़ाई के लिये तैयार रहना होगा। यह तय है कि चोकसी अपनी रिहाई सुनिश्चित करने तथा अपना प्रत्यर्पण टालने के लिये कानूनी मोर्चे पर कोई कसर नहीं छोड़ने वाला है।

निश्चित रूप से हमें बचाव पक्ष के वकीलों की रणनीति को लेकर कोई आश्चर्य न होगा कि चोकसी के खराब स्वास्थ्य को आधार बनाकर जमानत लेने का प्रयास किया जाए। खबरों में बताया जा रहा है कि चोकसी कैंसर का इलाज करा रहा है। वहीं दूसरी ओर देश में अपराध करके भागने वाले लोग विदेशी अदालतों में यह दलील देने से नहीं चूकते कि भारत में जेलों के हालात खराब है और वे उन स्थितियों में नहीं रह सकते। ऐसे में भारतीय जांच एजेंसियों को इस तरह के कुतर्कों का पुख्ता तरीके से मुकाबला करने के लिये पूरी तैयारी के साथ विदेशी अदालतों में अपना पक्ष सशक्त ढंग से रखना होगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकरण में भारत के सबसे बड़े बैंक घोटाले की जांच दांव पर है। इसके अलावा इस मामले में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम की प्रभावशीलता की भी कसौटी शामिल है। जिसे राजग सरकार ने वर्ष 2018 में मेहुल चोकसी व नीरव मोदी के देश से भागने के बाद लागू किया था। यह विडंबना ही कही जाएगी कि चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने तथा अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसकी संपत्ति जब्त करने की प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पिछले सात सालों से मुंबई की एक अदालत में लंबित है। बहरहाल, देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले में चोकसी के खिलाफ कार्रवाई तेज की जानी चाहिए। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के सख्त कानूनी प्रावधानों के चलते पिछले कुछ सालों में बैंकिंग धोखाधड़ी में शामिल राशि में उल्लेखनीय कमी आई है। निस्संदेह, यह एक स्वागत योग्य पहल है, लेकिन बड़ी मछलियों पर शिकंजा कसने तथा बैंक के खाताधारकों का भरोसा हासिल करने के लिये अधिक प्रयासों की जरूरत है। ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिये तेज करने तथा भगोड़े आर्थिक अपराधियों को कूटनीतिक प्रयासों के जरिये भारत लाने के प्रयासों को भी गति देने की जरूरत है। बैंकिंग व्यवस्था में खाताधारकों का भरोसा कायम रखने के लिये यह अपरिहार्य शर्त है।

रुग्ण मानसिकता के खिलाफ विचार–यात्रा

–विश्वनाथ सचदेव–

अभी–अभी देश ने रामनवमी मनाई है–भगवान राम का जन्मदिन। इस उत्सव के आयोजन को लेकर देश के कुछ हिस्सों में कुछ अप्रिय घटनाएं भी घटीं। इन्हीं अप्रिय घटनाओं में एक राजस्थान में भी घटी थी। हुआ यूं कि राजस्थान के अलवर जिले में भगवान राम के एक मंदिर में प्राण–प्रतिष्ठा के अवसर पर राज्य के एक कांग्रेसी नेता ने भी मंदिर जाने का निर्णय किया। वे मंदिर में गये। पूजा भी की। पर कुछ लोगों को उनका मंदिर में जाना पसंद नहीं आया। ऐसे ही लोगों में एक भाजपा के नेता भी थे, जिन्होंने 'मंदिर को पवित्र' करना जरूरी समझा। उनका यह मानना है कि मंदिर जाकर 'उस दलित कांग्रेसी नेता' ने मंदिर को अपवित्र कर दिया है। दलित नेता के जाने के बाद भाजपा नेता ने गंगाजल का छिड़काव करके मंदिर को पवित्र किया। उनके इस कृत्य की काफी आलोचना हो रही है, और उनके दल भाजपा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित करके कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। भले ही यह कार्रवाई भाजपा की राजनीतिक आवश्यकता हो, पर इस कार्रवाई का स्वागत ही किया जाना चाहिए।

समता, बंधुता और न्याय के आधार पर बने हमारे संविधान में अस्पृश्यता को एक अपराध घोषित किया गया है। स्वतंत्र भारत में इस अपराध में कमी भी आयी है, यह एक सच्चाई है, पर सच यह भी है कि हमारे समाज में आज भी अस्पृश्यता में विश्वास करने वाली सोच जिंदा है। और इस तथ्य को भी समझा जाना चाहिए कि सुधार के सारे दावों के बावजूद आज भी यह बीमार मानसिकता मनुष्यता के हमारे दावों–वादों को झुठला ही रही है।

रामनवमी का उत्सव मनाने के आठ दिन बाद ही हमने हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबासाहेब अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किये हैं। हमने यह भी देखा है कि देश के सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं में इस अवसर पर बाबा साहेब के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने की जैसे होड़–सी लगी हुई थी। लेकिन हकीकत यह भी है कि अलवर जिले में घटी निंदनीय घटना आठ दिन बाद जैसे आसानी से भुला दी गयी।

नहीं, ऐसी घटनाएं भुलाई नहीं जानी चाहिए। इन्हें याद रखना, इन पर चिंतन करना, इसलिए जरूरी है कि यह घटनाएं हमें आदमी और आदमी के बीच भेदभाव को समझने का अवसर देती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस अपराध को मानवता पर कलंक कहते समय भी कहा था कि अस्पृश्यता रंग–भेद जैसा ही अपराध है– जैसे रंग–भेद मनुष्यता का अपमान है, वैसे ही अस्पृश्यता की अवधारणा भी अपने आप में कोई छोटा अपमान नहीं है। किसी व्यक्ति को किसी भी आधार पर इतना हीन समझना कि उसे छूना अपराध बन जाए, उसकी छाया अपवित्र मानी जाये, उसे बस्ती के किसी हिस्से में ही रहने को विवश किया जाये, चाय की गुमटियों पर उसके लिए पृथक बर्तन रखे जाएं, सांविधानिक अपराध नहीं है, यह उस बीमार सोच का भी परिचायक है जो स्वयं को ही पवित्र समझने वालों को मनुष्य कहलाने के अधिकार से वंचित करता है।

पिछले एक अर्से से आंकड़े नहीं मिल रहे, पर यह तथ्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि देश में सत्तारूढ़ दल का कोई वरिष्ठ सदस्य एक विधानसभा में विपक्ष के नेता को मंदिर में जाने के लायक नहीं समझता। यह बात यहां रेखांकित की जानी चाहिए कि यह सदन में विपक्ष का नेता इसलिए मंदिर में जाने योग्य नहीं माना गया कि वह दलित है। पापी वह दलित नहीं है जो मंदिर में पूजा–अर्चना के लिए गया, पापी ऐसा व्यक्ति है जो दलित के प्रवेश से मंदिर को अपवित्र मानता है।

अछूतों के मंदिर प्रवेश को लेकर आजादी की लड़ाई के दौरान ही देश में महात्मा गांधी, बाबासाहेब अंबेडकर जैसे नेताओं ने कथित अछूतों के मंदिर–प्रवेश के अधिकार के लिए लड़ाई शुरू कर दी थी। स्वतंत्र भारत में भी यह लड़ाई जारी रही। हमारे संविधान की धारा 17 के अनुसार अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है। पर संविधान में प्रावधान मात्र से बात नहीं बनती। सन 2005 में जारी एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार देश में हर 20 मिनट पर दलितों के खिलाफ एक अपराध होता था। निश्चित रूप से यह आंकड़ा अब बहुत कम हो गया होगा, पर यह नहीं भुलाया जाना चाहिए कि इस अपराध से कहीं अधिक गंभीर वह मानसिकता है जो एक मनुष्य को अछूत समझती है। इसी मानसिकता के चलते कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश के एक तहसीलदार ने एक दलित महिला सरपंच के दफ्तर में जाने के बाद उस कुर्सी का 'शुद्धीकरण' किया था, जिस पर वह बैठी थी! चुनाव जीत कर सरपंच बनी थी वह महिला, अपने ग्राम की किसी समस्या के समाधान के लिए ही तहसीलदार के कार्यालय गयी होगी। उसे अपवित्र घोषित करके वह तहसीलदार महोदय आखिर कहना क्या चाहते थे? पता नहीं, उन तहसीलदार महोदय के इस कृत्य के लिए उन्हें कोई सजा मिली थी या नहीं, पर उनका यह कृत्य किसी गंभीर अपराध से कम नहीं था। वस्तुतरू उनका यह अपराध मनुष्यता के विरूद्ध था। अब यही अपराध उन नेताजी ने किया है जिन्होंने दलित नेता के मंदिर से जाने के बाद इसका 'शुद्धीकरण' किया। शुद्धीकरण की आवश्यकता यदि किसी को है तो उस बीमार मानसिकता को है जो मनुष्य और मनुष्य में भेद करती है।

जिन भगवान राम की मूर्ति की प्राण–प्रतिष्ठा उस मंदिर में की गयी थी, उन्होंने अपने कृतित्व से बार–बार यह समझाया था कि मनुष्य जाति से नहीं, अपनी करनी से छोटा या बड़ा होता है। निषाद राज को गले लगाकर, उन्हें अपना भाई कह कर राम यही तो समझाना चाहते थेय शबरी के झूठे बेर खाकर भी उन्होंने यही बताया था। स्वयं को राम का सेवक बताने वाले यह क्यों भूल जाते हैं कि राम ने अपने आचरण से यही सिद्ध करना चाहा था कि समाज के परिष्कार का बोझ मनुष्य के कंधों पर ही है। मंदिर के कथित शुद्धीकरण करने वाली मानसिकता राम के किये को नकार रही है।

जिन नेताजी ने शुद्धीकरण किया वे तीन बार विधायक रह चुके हैं, जिन नेताजी ने मंदिर 'अपवित्र' किया था, वे भी तीसरी बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। दोनों को जनता ने योग्य समझा और चुना था। फिर एक, दूसरे से बड़ा कैसे हो गया। पवित्र–अपवित्र की इस बीमार सोच के खिलाफ अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है। यह मानसिकता सिर्फ बीमार ही नहीं, आपराधिक भी है। इस अपराध के खिलाफ आंदोलन चलना चाहिए। समाज को शोभायात्राओं की नहीं, उन विचार–यात्राओं की आवश्यकता है जो रुग्ण मानसिकता के खिलाफ मानसिकता बनाने का काम करें– और यह आवश्यकता हर स्तर पर ईमानदारी से समझी जानी चाहिए।

–लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

बेहाल वृद्धों के लिये आयोग सराहनीय कदम

– ललित गर्ग–

केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग स्थापित करने के लिए एक कानून पारित किया है। यह एक सराहनीय एवं स्वागत योग्य पहल होने के बावजूद एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है कि आखिर भारत के बुजुर्ग इतने उपेक्षित एवं प्रताड़ित क्यों है? केरल जैसे शिक्षित राज्य में ही इस आयोग को बनाने की जरूरत क्यों सामने आयी? केरल में क्यों सामाजिक सुरक्षा, स्नेह, सुरक्षा की वह छांव लुप्त होती जा रही है, जिसमें बुजुर्ग खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। क्यों केरल में ही बुजुर्ग सर्वाधिक अकेलेपन एवं एकाकीपन का संत्रास झेलने को विवश हो रहे है? केरल में कई बुजुर्ग लोगों को युवा पीढ़ी के हाथों गरीबी और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रांत में कई गांव ऐसे हैं जहां केवल बुजुर्ग ही बचे हैं, प्रश्न है कि ऐसा क्यों हो रहा है? यूं तो समूचे देश में बुजुर्गों की लगभग यही स्थिति बन रही है, जो सामाजिक व्यवस्था पर एक बदनुमा दाग है।

केरल योजना बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, दक्षिणी राज्य पूरे भारत की तुलना में अधिक तेजी से वृद्ध हो रहा है। 1961 में, केरल में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का 5.1 प्रतिशत थी, जो राष्ट्रीय औसत 5.6 प्रतिशत से थोड़ा कम थी। हालांकि, 1980 के दशक तक, राज्य ने बाकी राज्यों को पीछे छोड़ दिया। 2001 तक यह हिस्सा बढ़कर 10.5 प्रतिशत हो गया, जबकि राष्ट्रीय औसत 7.5 प्रतिशत था। 2011 में यह 12.6 प्रतिशत था, जबकि राष्ट्रीय औसत 8.6 प्रतिशत था। केरल के योजना बोर्ड के अनुसार, 2015 में यह बढ़कर 13.1 प्रतिशत हो गया, जबकि राष्ट्रीय औसत 8.3 प्रतिशत था। अब, दक्षिणी राज्य में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 4.8 मिलियन लोग हैं। इसके अलावा, बुजुर्ग समूह का 15 प्रतिशत 80 वर्ष से अधिक आयु का है, जो इसे बुजुर्ग लोगों के बीच सबसे तेजी से बढ़ने वाला आयु समूह बनाता है। 60 से अधिक आयु वर्ग में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है और उनमें से अधिकांश विधवाएं हैं। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बुधवार को पारित इस कानून की सराहना करते हुए कहा कि यह नया आयोग बुजुर्गों के अधिकारों, कल्याण और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करेगा।

देश में बुजुर्गों की हालत दिन–ब–दिन जटिल होती जा रही है। केरल देश के सबसे शिक्षित राज्यों में शुमार होता है तो बुजुर्गों के प्रति बरती जा रही उपेक्षा, उदासीनता एवं प्रताड़ना में भी सबसे आगे है। लगभग 94 फीसदी साक्षरता वाले इस राज्य में बुजुर्ग शिक्षित युवाओं के पलायन का संत्रास झेल रहे हैं। राज्य के करीब 21 लाख घरों में युवाओं के पलायन करने के कारण सिर्फ बुजुर्ग बचे हैं। गांव के गांव पलायन का दंश झेलते हुए वीरान हो चुके हैं। लाखों घरों में सिर्फ ताले लटके नजर आते हैं। खाड़ी के देशों में जाकर सुनहरा भविष्य तलाशने की होड़ में इसी प्रांत के सर्वाधिक युवा है। भले ही इस प्रांत ने सर्वाधिक शिक्षा से प्रगतिशील सोच दी है, लेकिन अंतहीन भौतिक लिप्साओं को भी जगाया है, जिससे ही बुजुर्गों की उपेक्षा या उनको उनके हाल पर छोड़ देने की विकृत मानसिकता एवं त्रासदी उभरी है। वृर्द्धों की उपेक्षा देशभर में देखने को मिल रही है, हाल के वर्षों में केरल के बाद पंजाब–हरियाणा में भी नजर आ रही है। वैसे तो यह हमारे नीति–नियंताओं की नाकामी का भी परिणाम है कि हम युवाओं को उनकी योग्यता–आकांक्षाओं के अनुरूप रोजगार देश में नहीं दे पाए। उन्हें न अपनी जन्मभूमि का सम्मोहन रोकता है और न ही यह फिक्र कि उनके जाने के बाद बुजुर्ग माता–पिता का क्या होगा? एकाकीपन का त्रास झेलते केरल के इन गांवों में बुजुर्गों के पास पैसा तो है मगर समाधान नहीं है। कुछ वृद्धों के पास तो धन का अभाव भी इस समस्या को विकराल रूप दे रहा है। राज्य में वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ने के साथ ही बुजुर्गों के अधिकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं।

भारत में बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार, उपेक्षा एवं उदासीनता एक बढ़ती चिंता का विषय है, उनका एकाकीपन एवं अकेलापन उससे बड़ी समस्या है। केरल के वृद्ध–संकट को महसूस करते हुए वहां की सरकार ने वरिष्ठ नागरिक आयोग बनाया है, जो एक सूझबूझभरा कदम है। लेकिन यह वक्त बताएगा कि भ्रष्ट अफसरशाही व घुन लगी व्यवस्था में ये आयोग कितना कारगर होगा? लेकिन फिर भी जिस राज्य में हर पांचवें घर से एक व्यक्ति विदेश चला गया है, वहां ऐसा आयोग एक सीमा तक तो समस्या के समाधान की दिशा में रोशनी बनेगा। जरूरत है सरकारी अधिकारी संवेदनशीलता एवं इंसानियत से बुजुर्गों की समस्याओं का समाधान करने के लिये आगे आये। केरल की सामाजिक न्याय मंत्री आर. बिंदु के अनुसार आयोग समृद्ध और निम्न आय वाले दोनों ही परिवारों के वृद्ध व्यक्तियों के शोषण की समस्या का महत्वपूर्ण समाधान करेगा। जो वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, उनकी गरिमा, कल्याण और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उम्र बढ़ने के साथ–साथ लोगों को अक्सर स्वास्थ्य में गिरावट, अकेलेपन और वित्तीय असुरक्षा जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आवश्यक सहायता प्रदान करने से अधिक समावेशी और दयालु समाज बनाने में मदद मिलती है।

निस्संदेह, बुजुर्गों की आवश्यकताएं सीमित होती हैं। लेकिन उनका मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरी उनकी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं दूर करना है। बेहतर चिकित्सा सेवा व घर–घर उपचार की सहज उपलब्धता समस्या का समाधान दे सकती है। वैसे अकेले रह रहे बुजुर्गों को भी इस दिशा में पहल करनी होगी। सामाजिक सक्रियता एवं मनोबल इसमें सहायक बनेगा। नीति–नियंताओं को सोचना होगा कि अगले दशकों में देश युवा भारत से बुजुर्गों का भारत बनने वाला है। वर्ष 2050 तक भारत में साठ साल से अधिक उम्र के 34.7 करोड़ बुजुर्ग होंगे। क्या इस चुनौती से निपटने को हम तैयार हैं? क्या केरल की तरह अन्य राज्यों की सरकारें एवं केन्द्र सरकार लगातार बुजुर्गों से जुड़ी समस्याओं के लिये ठोस कदम उठायेगी?

बिहार की राजनीति के बदलते सन्दर्भ

– संतोष कुमार पाठक–

बिहार की राजनीति में 90 के दशक में लालू यादव के ताकतवर होने के साथ ही कांग्रेस समेत अन्य कई राजनीतिक दलों के बुरे दिन शुरू हो गए थे। बीजेपी के समर्थन से सरकार चला रहे लालू यादव ने वर्ष 1990 में लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करा कर सबको चौंका दिया था। उस समय आडवाणी को जिस अधिकारी (आरके सिंह) ने गिरफ्तार किया था, उन्हें नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बनाया था। वहीं सरकार को बनाए रखने के लिए लालू यादव ने अनगिनत बार कम्युनिस्ट पार्टी के विधायकों को तोड़ने का काम किया। कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल को तो लालू यादव ने बिहार में अपनी बी टीम बनाकर छोड़ दिया था। लालू यादव सीधे कांग्रेस आलाकमान से डील किया करते थे और बिहार कांग्रेस के नेताओं को हमेशा लालू यादव से डर कर रहना पड़ता था।

बिहार में कांग्रेस नेताओं की हालत इतनी दयनीय हो गई थी कि हाल ही में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के साथ दिल्ली में हुई बैठक में कई नेताओं ने यह शिकायत भी की कि आरजेडी के नेता कांग्रेस नेताओं को सम्मान नहीं देते हैं। उस समय राहुल गांधी ने कहा था कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि सम्मान हासिल करना पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी के मिशन बिहार से काफी कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है।

बिहार के लगातार दौरे पर जाकर राहुल गांधी ने राज्य की राजनीति को समझने का प्रयास किया। अपने करीबी नेता कृष्णा अल्लावरु को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाकर भेजा। लालू यादव के करीबी माने जाने वाले अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर एक दलित नेता राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लालू यादव और तेजस्वी यादव की नाराजगी के बावजूद कन्हैया कुमार को श्पलायन रोको, नौकरी दोश यात्रा का चेहरा बनकर बिहार की सड़कों पर उतरने का मौका दिया। आने वाले दिनों में लालू यादव और तेजस्वी यादव की नाराजगी के बावजूद पप्पू यादव को भी बड़ी भूमिका देने की खबरें निकल कर सामने आ रही है।

कांग्रेस के आक्रामक तेवरों को देखते हुए लालू यादव काफी हद तक असहज हो गए। उन्होंने अपने बेटे तेजस्वी यादव (जिन्हें वे पहले ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं) को पटना में 17 अप्रैल को होने वाली महागठबंधन की बैठक से पहले ही राहुल गांधी के साथ सब कुछ तय करने के लिए आनन–फानन में दिल्ली भेजा। मंगलवार को तेजस्वी यादव ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर राहुल गांधी के साथ बैठक की। लेकिन राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को कांग्रेस की अहमियत बताने के लिए इसको एक बड़ी बैठक बना दिया। इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्किकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के अलावा राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और गुरदीप सिंह सप्पल भी मौजूद रहे। वहीं तेजस्वी यादव अपने साथ पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा और संजय यादव को लेकर गए थे।

लेकिन तेजस्वी यादव की यह दिल्ली यात्रा उनके लिए उतनी लाभदायक नहीं रही, जितनी वह उम्मीद कर रहे थे। कांग्रेस ने आरजेडी के ऑफर (यानी 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने) को सिरे से नकार दिया और पिछली बार की तरह 70 सीटों की मांग रख दी। इतना ही नहीं कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया कि पिछली बार की तरह कांग्रेस कमजोर और हारने वाली सीटों को स्वीकार नहीं करेगी। सीट को लेकर विस्तार से चर्चा पटना की बैठक में होगी। वहीं मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर भी कांग्रेस ने फिलहाल अपने पत्ते खोलने से साफ इनकार कर दिया है।

दिल्ली की बैठक बेनतीजा रही, यह बैठक के बाद आए बयानों से भी साफ पता चलता है। बड़ी उम्मीदों के साथ दिल्ली आए तेजस्वी यादव ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि, ष्पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे के लिए। यह हम लोगों की चीजें हैं। हम लोगों की बातचीत के बाद सारी चीजें सामने आ जाएंगी। इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है।'

मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर पत्रकारों ने यही सवाल बैठक से बाहर आए कांग्रेस के नेताओं से भी पूछा। कृष्णा अल्लावरु ने भी साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि , अगर पहली मुलाकात में ही सब कुछ तय हो गया होता तो वे इसकी जानकारी जरूर देते। मतलब साफ है कि गठबंधन में अभी काफी पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस इस बार झुकने को तैयार नहीं है।

बिहार में इसी साल अक्टूबर–नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने है। आरजेडी चाहती थी कि पहले कांग्रेस के साथ सारे मुद्दे तय कर लिए जाएं, फिर गठबंधन में शामिल अन्य राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जाए। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में खरगे के आवास पर हुई पहले दौर की बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई।

आपको बता दें कि, 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे के तहत आरजेडी 144, कांग्रेस 70, सीपीआई (एमएल) 19, सीपीआई 6 और सीपीआई (एम) 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। पिपक्षी गठबंधन के प्रदर्शन की बात करें तो, आरजेडी को 75, कांग्रेस को 19, सीपीआई(एमएल) को 12 और सीपीआई एवं सीपीआई(एम) को 2–2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी।

आरजेडी कांग्रेस को 70 में से सिर्फ 19 सीटें जीतने की याद दिलाते हुए, इस बार सिर्फ 50 सीटों पर लड़ने की बात कह रहा है। जबकि कांग्रेस 70 से कम पर मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब सबकी निगाहें, 17 अप्रैल को पटना में होने वाली महागठबंधन की बैठक पर टिक गई है। कांग्रेस सीटों की संख्या और सीटों के नाम के ऐलान के साथ ही उपमुख्यमंत्री के पद पर भी अड़ गई है। आरजेडी जब तक इन मुद्दों पर कांग्रेस की बात नहीं मान लेती है, तब तक कांग्रेस भी मुख्यमंत्री पद को लेकर अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस इस बार एक साझा कार्यक्रम के आधार पर चुनाव में जाना चाहती है।

कार्यालय ग्राम पंचायत-केशवापुर वि0ख0 रूधौली जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 17–04 2025 से 23–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा प्राप्त कर जमा कर सकते है। दिनांक 24–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 02.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडंजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, हयूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(पंचमराम) ग्राम प्रधान **(जयकेश कुमार राव)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /16.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत-बहादुरपुर वि0ख0 सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 17–04 2025 से 23–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा प्राप्त कर जमा कर सकते है। दिनांक 24–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 02.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडंजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, हयूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(धारीलाल) ग्राम प्रधान **(कृष्णानन्द शाह)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /16.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत-हसनापुर वि0ख0 सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 17–04 2025 से 23–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा प्राप्त कर जमा कर सकते है। दिनांक 24–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 02.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडंजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, हयूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(कुसुम देवी) ग्राम प्रधान **(अमरनाथ गौतम)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /16.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत-गोरखर वि0ख0 सल्टौआ गोपालपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 17–04 2025 से 23–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा प्राप्त कर जमा कर सकते है। दिनांक 24–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 12.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडंजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, हयूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(श्रीचन्द्र सिंह) ग्राम प्रधान **(अमरनाथ गौतम)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /16.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत-ऐनपुर वि0ख0 गौर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 17–04 2025 से 22–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा प्राप्त कर जमा कर सकते है। दिनांक 23–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडंजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, हयूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(रामचन्द्र चौधरी) ग्राम प्रधान **(राजेश कुमार)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /16.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत-कम्हरिया वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 17–04 2025 से 18–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 10.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा प्राप्त कर जमा कर सकते है। दिनांक 18–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 11.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंडंजा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, हयूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(तबस्सुम निशा) ग्राम प्रधान **(राघवेन्द्र प्रताप सिंह)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /16.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत-मधवापुरकला वि0ख0 -खुनियांव, जनपद- सिद्धार्थनगर

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **मधवापुरकला** विकास खण्ड खुनियांव जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पंद्रहवां वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त/ स्वच्छ भारत मिशन एवम अन्य शासकीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृति तथा कराये जाने वाले कार्यों में प्रयोग हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु इंटरलाकिंग प्रथम श्रेणी ईट, बालू, सीमेन्ट, मोरंग, सरिया, पेन्ट, वायरिंग, पत्थर की गिट्टी, टाइल्स, हियूमपाइप, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, हार्डवेयर, सफाई कर्मी, गोवंश भरण–पोषण, हेतू भूसा दाना, टूल किट, इण्डिया मार्का पम्प, मरम्त, रिबोर पंचायत भवन निर्माण व मरम्मत व सार्वजनिक स्थान पर बैठने हेतु बेंच निर्माण ग्राम पंचायत में उपस्वास्थ्य केन्द्र मरम्मत/सामुदायिक शौचालय मरम्मत व निर्माण, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धक (एस0एल0डब्लू0एम0), इलेक्ट्रानिक मटेरियल आदि समानो की व समय समय पर आवश्कतानुसार कार्य करने सम्बंधित सामग्री इत्यादि की आपूर्ति हेतु निविदा सत्र 2025–26 हेतु आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनाँक 21–04–2025 को अपरान्ह 11.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा तथा वाछित प्रपत्र बन्द लिफाफे में ग्राम पंचायत कार्यालय **मधवापुरकला** के निविदा बॉक्स में डाली जायेगी। और उसी दिन दिनांक 21.04.2025 पूर्वाहन 12:00 बजे ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेन्डर खोला जायेगा तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मूल्य 5000– रुपये होगी।

नियम व शर्ते

1–जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगी, वही निविदा स्वीकृति की जायेगी ।

2–आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकरदाता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3–सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में कार्य स्थल पर ही करनी होगी।

4– जो दरे प्रस्तुत की जाये वह जीएसटी तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाये।

5– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जायेगी।

6– सामग्री की मात्रा घटायी या बढ़ाई जा सकती है।

7– ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सचिव/सदस्य/बीडीसी/जिला पंचायत सदस्य/ तकनीकी सहायक/रोजगार सेवक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बंधित एवं रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी। उक्त आशय की नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।

8– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियंता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा।

9– आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। आपूर्ति हेतु सम्बंधित के पास डीलरशिप/एजेंसी होना अनिवार्य है अन्यथा की दशा में आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति हेतु खरीदी गयी सामग्री का पक्का बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10– निविदा फॉर्म ग्राम पंचायत **मधवापुरकला** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 (एक सौ) रुपया है पर ही स्वीकार किया जायेगा। अन्य जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय **मधवापुरकला** से प्राप्त की जा सकती है।

ग्राम प्रधान–नार्मल
ग्राम पंचायत–मधवापुरकला
विकास खण्ड–खुनियांव
जनपद –सिद्धार्थनगर

सचिव–सुजीत कुमार जायसवाल
ग्राम पंचायत–मधवापुरकला
विकास खण्ड–खुनियांव
जनपद –सिद्धार्थनगर

कार्यालय ग्राम पंचायत-पटियापार वि0ख0 -खुनियांव, जनपद- सिद्धार्थनगर

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **पटियापार** विकास खण्ड खुनियांव जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पंद्रहवां वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त/ स्वच्छ भारत मिशन एवम अन्य शासकीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृति तथा कराये जाने वाले कार्यों में प्रयोग हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु इंटरलाकिंग प्रथम श्रेणी ईट, बालू, सीमेन्ट, मोरंग, सरिया, पेन्ट, वायरिंग, पत्थर की गिट्टी, टाइल्स, हियूमपाइप, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, हार्डवेयर, सफाई कर्मी, गोवंश भरण–पोषण, हेतू भूसा दाना, टूल किट, इण्डिया मार्का पम्प, मरम्त, रिबोर पंचायत भवन निर्माण व मरम्मत व सार्वजनिक स्थान पर बैठने हेतु बेंच निर्माण ग्राम पंचायत में उपस्वास्थ्य केन्द्र मरम्मत/सामुदायिक शौचालय मरम्मत व निर्माण, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धक (एस0एल0डब्लू0एम0), इलेक्ट्रानिक मटेरियल आदि समानो की व समय समय पर आवश्कतानुसार कार्य करने सम्बंधित सामग्री इत्यादि की आपूर्ति हेतु निविदा सत्र 2025–26 हेतु आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनाँक 23–04–2025 को अपरान्ह 03.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा तथा वाछित प्रपत्र बन्द लिफाफे में ग्राम पंचायत कार्यालय **पटियापार** के निविदा बॉक्स में डाली जायेगी। और उसी दिन दिनांक 23.04.2025 पूर्वाहन 04:00 बजे ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेन्डर खोला जायेगा तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मूल्य 5000– रुपये होगी।

नियम व शर्ते

1–जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगी, वही निविदा स्वीकृति की जायेगी ।

2–आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकरदाता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3–सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में कार्य स्थल पर ही करनी होगी।

4– जो दरे प्रस्तुत की जाये वह जीएसटी तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाये।

5– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जायेगी।

6– सामग्री की मात्रा घटायी या बढ़ाई जा सकती है।

7– ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सचिव/सदस्य/बीडीसी/जिला पंचायत सदस्य/ तकनीकी सहायक/रोजगार सेवक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बंधित एवं रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी। उक्त आशय की नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।

8– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियंता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा।

9– आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। आपूर्ति हेतु सम्बंधित के पास डीलरशिप/एजेंसी होना अनिवार्य है अन्यथा की दशा में आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति हेतु खरीदी गयी सामग्री का पक्का बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10– निविदा फॉर्म ग्राम पंचायत **पटियापार** क

महबूबा संग आपत्तिजनक हालत में था प्रेमी,घर वालों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ा, लड़के का काटा प्राइवेट पार्ट

संवाददाता–गोरखपुर। जिले में गुलरिहा में मंगलवार की रात एक 25 वर्षीय युवक गांव मे प्रेमिका से मिलने पहुंचा। आपत्तिजनक हालत में देख प्रेमिका के घरवाले युवक का गुप्तांग सेविंग ब्लेड से काट दिया। युवक का गुप्तांग एक चौथाई कट गया। घायल युवक का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। बताया जा रहा है साजिश के तहत प्रेमिका से युवक को पहले घर में बुलाया गया और फिर घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। गुलरिहा पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्षेत्र के एक 25 वर्षीय युवक का प्रेम संबंध गांव की एक बिरादरी के युवती से पिछले पांच वर्षों से चल रहा था। युवक अक्सर छुपकर प्रेमिका से मिलने उसके घर जाता था। जब इसकी भनक युवती के घर वालों को लगी तो युवक को समझाने का प्रयास किए। बताया जा रहा कि बात नहीं बनी तो युवती का भाई कई दिनों से युवक को सबक सिखाने की योजना बना रहा था।

आरोप है कि मंगलवार की रात ने युवती घर वालों के दबाव में युवक को फोन कर मिलने के लिए बुलाई थी। युवक जब आपत्तिजनक हालत में हुआ तो युवती के घरवाले सेविंग ब्लेड से युवक का गुप्तांग काट दिए। रात में घायल युवक को मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर इलाज के लिए भेजा गया। जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा जीतेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि युवक का कहना है कि लड़की ने ही बुलाकर गुप्तांग काटने का प्रयास की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश
(आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत–श्रीमान नवम् अति0 सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
प्रकीर्णवाद सं0–386/2023
शिवबक्स आदि
बनाम
श्रीपत आदि
1. बलराम 2. हरीराम पुत्रगण श्रीपत ग्राम अवधुत नगर तप्पा ऊँजी परगना नगर पश्चिम तहसील हर्रैया जिला बस्ती
तारीख पेशी 03–05–2025
हरगाह मुद्दई मजकुरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।
लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 03 माह 05 सन 2025 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुदी की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।
मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0)एफ0टी0सी0 महोदय बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–777/2002
रामदेव आदि
बनाम
सुखीराम आदि
3/1 कमलापति उम्र करीब 30 वर्ष 3/2 राजकपूर उम्र करीब 25 वर्ष पुत्रगण रामशंकर 3/3 किरन देवी उम्र करीब 55 साल पत्नी शिवकरन 3/4 अरूण कुमार उम्र करीब 30 वर्ष 3/5 अमरनाथ उम्र करीब 20 वर्ष पुत्रगण शिवकरन साकिन तेलियाडीह तप्पा सिकन्दरपुर परगना बस्ती पूरव तहसील भानपुर जिला बस्ती
तारीख पेशी 08–05–2025
हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।
लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 08 माह 05 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।
बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख 16 माह 04 सन 2025 ई0 जारी किया गया।
द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इश्तहार मजरिया अदालत– श्रीमान प्रथम अपर सिविल जज (सी0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
प्रकीर्णवाद सं0 42/2014
आदित्य कुमार
बनाम
सरकार
1. आदित्य कुमार श्रीवास्तव पुत्र दीपक श्रीवास्तव वार्ड नं0–16 नगर पालिका परिषद बस्ती मोहल्ला अमहट उर्फ बैरिहवा तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला–बस्ती 2. कुमारी पूनम श्रीवास्तव पुत्री स्व0 राम चन्दर सहाय श्रीवास्तव निवासी अमहट उर्फ बैरिहवा पो0 गांधी नगर तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला–बस्ती
तारीख पेशी 12–05–2025
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम–1925
दरख्वास्त मुसम्मा
वास्ते हुसूल सर्टीफिकेट वसूल कर्जा व विकालत हाय दरख्वास्त मुसम्मा मुतवफ्फा अपने बमूजिब एक्ट 7 सन 1889 ई0 वकैद
हरगाह मुसम्मा ने दरख्वास्त हुसूल सर्टीफिकेट गुजरानी है और तारीख माह सन ई0 वास्ते समाअत दरख्वास्त के मुकर्रर हुई है। लिहाजा यह इश्तिहार जारी किया जाता है कि किसी को निस्बत के उज्र हो या असालतन या वकालतन वक्त 10 बजे सुबह अदालत प्रथम अति0 सिविल जज (सी0डि0) बस्ती बतारीख पेशी 12–05–2025 मुकर्रर हाजिर होकर उज्र अपना पेश करें। दरसूरत इनकजाय तारीख मजकूर के फिर उज्र किसी का सुना न जायेगा और हुक्म मुनासिब निस्बत दरख्वास्त मजकूर के सादिर होगा। अलमरकूम माह सन 20 ई0।
द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
मु0नं0– 2545/2023
क0वाद सं0–D202317140001748
अन्तर्गत धारा 30 उ0प्र0रा0 सं0–2006
अदालत– श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बस्ती जिला–बस्ती
जयराम सिंह
बनाम
ग्राम पंचायत चन्दोखा आदि
1. ग्राम पंचायत चन्दोखा द्वारा प्रधान ग्राम चन्दोखा तप्पा आदमपुर परगना रसूलपुर तहसील भानपुर जिला–बस्ती 2. उग्रसेन सिंह 3. राम प्रसाद सिंह 4. महेन्द्र सिंह 5. संजय सिंह पुत्रगण जगदेव 6. श्रीमती इन्द्रावती पत्नी जगदेव सिंह 7. विनय कुमार सिंह पुत्र जयराम सिंह 8. सरदार मन्जीत सिंह पुत्र अकबाल बहादुर 9. सुमित्रा देवी पत्नी अकबाल बहादुर 10. विमला देवी पत्नी रवि प्रताप सिंह 11. विजय प्रताप सिंह 12. संतोष कुमार सिंह 13. जय प्रताप सिंह पुत्रगण रवि प्रताप सिंह साकिनान मौजा चन्दोखा द्वारा प्रधान ग्राम चन्दोखा तप्पा आदमपुर परगना रसूलपुर तहसील भानपुर जिला–बस्ती
तारीख पेशी 23–04–2025
वाजेह हो कि नेे आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 23 माह 04 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।
आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 16 माह 04 सन 2025 ई0 जारी किया गया।
द0 हाकिम

मुंबई से कट्टा मंगवा लिया है, पार्षद को मार देंगे गोली, नाराज पार्षदों ने की बैठक

संवाददाता–गोरखपुर। तिवारीपुर क्षेत्र के कल्याणपुर वार्ड के पार्षद शिवेंद्र मिश्रा को मुंबई से असलहा मंगाकर जान से मारने की धमकी देने के मामले को भाजपा पार्षदों ने गंभीरता से लिया है। बुधवार को पार्षद सभागार कक्ष में सभी पार्षदों की बैठक हुई। पूर्व उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा ने कहा कि पार्षद स्थानीय जनता के लिए ही नगर निगम से लेकर अन्य जगह संघर्ष करता है, उसका व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है। लेकिन, जिस तरीके से पार्षद के साथ मनबढ़ों ने दुर्व्यवहार किया है और सभी उचित पटल पर शिकायत करने के बाद भी पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक नहीं है। इस दौरान भाजपा के पार्षद एक साथ बैठक में शामिल रहे। दरअसल, मामले में सोमवार को पार्षद की तरफ से तहरीर मिलने पर तिवारीपुर पुलिस ने प्रदीप सिंह और मुकेश सिंह के खिलाफ धमकी देने व गाली गलौज करने का केस दर्ज किया है।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद महोदय बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–84/2023
श्रीमती शारदा देवी
बनाम
राजेन्द्र आदि
1. राजेन्द्र पुत्र रामसहाय 2. ओम प्रकाश पुत्र रामकुमार 3. रविचन्द्र पुत्र ओम प्रकाश 4. कुलदीप 5. दिलीप कुमार पुत्रगण रामलोचन निवासीगण ग्राम बहादुरपुर तप्पा पिलाई परगना नगर पूरव तहसील व जिला–बस्ती
–प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग
6. जतन 7. डेवई पुत्रगण गूदर निवासीगण ग्राम बहादुरपुर तप्पा पिलाई परगना नगर पूरव तहसील व जिला–बस्ती
–प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग
तारीख पेशी 22–05–2025
हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 22 माह 05 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।
आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 16 माह 04 सन 2025 ई0 जारी किया गया।
द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
मु0नं0– 20/24
अन्तर्गत धारा 30 उ0प्र0रा0 सं0–2006
अदालत– श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बस्ती जिला–बस्ती
नैमुनिशा आदि
बनाम
ग्राम पंचायत छितिरगांवा आदि
1. ग्राम पंचायत छितिरगांवा द्वारा प्रधान ग्राम पंचातय छितिरगांवा तप्पा भानपुर परगना रसूलपुर तहसील भानपुर जिला–बस्ती 2. आवेश पुत्र अफसर अली 3. अकबर अली पुत्र फरजन 4. अब्दुल रहमान 5. अफसर अली 6. शब्बी अली 7. हैदर अली पुत्रगण फरजन अली 8. खान जावेद 9. मो0 आशिक पुत्रगण मो0 इकबाल 10. श्रीमती रूवैया खातून पत्नी मंसूर अली 11. नवी रजा पुत्र मंसूर अली 12. कु0 शकुरा खातून 13. कु0 ताहिरा खातून पुत्रीगण मंसूर अली साकिनान मौज छितिरगांवा तप्पा भानपुर परगना रसूलपुर तहसील भानपुर जिला–बस्ती 14. अब्दुल कादिर 15. हैदर अली पुत्रगण इसमाइल साकिनान भैसहिया राजा फार्म तप्पा भानपुर परगना रसूलपुर तहसील डुमरियागंज जिला–सिद्धार्थनगर 16. नसीबदार पुत्र जियाउल्लाह 17. मुनीव पुत्र महमूद अली साकिनान मौजा छितिरगांवा तप्पा भानपुर परगना रसूलपुर तहसील भानपुर जिला–बस्ती
तारीख पेशी 23–04–2025
वाजेह हो कि नेे आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 23 माह 04 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।
आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 16 माह 04 सन 2025 ई0 जारी किया गया।
द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
मु0नं0–
अन्तर्गत धारा 24 उ0प्र0रा0 सं0–2006
अदालत– श्रीमान उप जिलाधिकारी (न्यायिक) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
श्रीमती मीना देवी
बनाम
सरकार आदि
बावत ग्राम ढढौरा तप्पा कबरा परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती
1. सरकार उ0प्र0 द्वारा जिलाधिकारी बस्ती 2. गनपत पुत्र महादेव 3. अशोक कुमार पुत्र रामपति 4. राजेश कुमार पुत्र रामपति 5. अंशिका पुत्री रामपति 6. सुखमती पत्नी रामपति 7. सत्यनारायन पुत्र सभापति 8. सुनीता पुत्री सभापति 9. राजधर पुत्र रामलखन साकिनान मौजा ढढौरा तप्पा कबरा परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 28–04–2025
वाजेह हो कि नेे आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 28 माह 04 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।
आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 16 माह 04 सन 2025 ई0 जारी किया गया।
द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश
(आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत–श्रीमान चतुर्थ अति0 सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
प्रकीर्णवाद सं0–204/2022
अशोक कुमार
बनाम
किशुन आदि
1. किशुन उम्र 60 वर्ष पुत्र कुबेर साकिन मौजा अण्डा तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील बस्ती सदर जिला–बस्ती पोस्ट सण्डा 2. विश्वनाथ उम्र 40 वर्ष पुत्र बाबूराम 3. श्रीमती सुनीता देवी उम्र 38 वर्ष पत्नी विश्वनाथ साकिनान मौजा दिकतौली तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला–बस्ती
तारीख पेशी 14–05–2025
हरगाह मुद्दई मजकुरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।
लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 14 माह 05 सन 2025 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुदी की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।
मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इश्तहार मजरिया अदालत– श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
प्रकीर्णवाद सं0 53/2025
अजय कुमार शुक्ला–सायलान
1. अजय कुमार शुक्ला 2. अमित कुमार शुक्ला पुत्रगण रामनाथ शुक्ला निवासी मोहल्ला पिकौरबक्स निकट करतार टाकीज गांधीनगर बस्ती तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला–बस्ती 3. ममता चौबे पुत्री रामनाथ शुक्ला पत्नी सुरेश कुमार चौबे निवासी ग्राम लहुरा पोस्ट अहिरौला जिला–आजमगढ़ हाल मुकाम मोहल्ला पिकौरबक्स तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला–बस्ती 4. कविता उपाध्याय पुत्री रामनाथ शुक्ला पत्नी सुरेश कुमार चौबे निवासी 86 ब्लाक मंसाराम पार्क उत्तम नगर डी0के0 मोहन गार्डन पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली 110059 हाल मुकाम मोहल्ला पिकौरबक्स तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला–बस्ती
तारीख पेशी 06–05–2025
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम–1925
दरख्वास्त मुसम्मा
वास्ते हुसूल सर्टीफिकेट वसूल कर्जा व विकालत हाय दरख्वास्त मुसम्मा मुतवफ्फा अपने बमूजिब एक्ट 7 सन 1889 ई0 वकैद
हरगाह मुसम्मा ने दरख्वास्त हुसूल सर्टीफिकेट गुजरानी है और तारीख माह सन ई0 वास्ते समाअत दरख्वास्त के मुकर्रर हुई है। लिहाजा यह इश्तिहार जारी किया जाता है कि किसी को निस्बत के उज्र हो या असालतन या वकालतन वक्त 10 बजे सुबह अदालत सिविल जज (सी0डि0) बस्ती बतारीख पेशी 06–05–2025 मुकर्रर हाजिर होकर उज्र अपना पेश करें। दरसूरत इनकजाय तारीख मजकूर के फिर उज्र किसी का सुना न जायेगा और हुक्म मुनासिब निस्बत दरख्वास्त मजकूर के सादिर होगा।
अलमरकूम माह सन 20 ई0।
द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान नवम् अति0 सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–260/2020
सियाराम आदि
बनाम
रामकिशुन आदि
1. श्याम सुन्दर उम्र लगभग 24 वर्ष वालिग पुत्र रामशंकर दत्तक पुत्र ठाकुर निवासी ग्राम दुदराक्ष तप्पा उमरा परगना बस्ती पूरव तहसील रूधौली जिला–बस्ती
–प्रतिवादी द्वितीय वर्ग
तारीख पेशी 06–05–2025
हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 06 माह 05 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।
आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–777/2024
सत्य प्रकाश
बनाम
आनन्द बहादुर पाल आदि
1. आनन्द बहादुर पाल आयु लगभग 50 वर्ष पुत्र हरिश्चन्द्र पाल निवासी ग्राम बरडीहा तप्पा छपिया परगना रसूलपुर तहसील भानपुर जिला–बस्ती
तारीख पेशी 13–05–2025
हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 13 माह 05 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।
आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील
वाद सं0–C201917000000466
अदालत– श्रीमान अपर आयुक्त बस्ती मण्डल महोदय बस्ती जिला–बस्ती
रामअवध आदि
बनाम
वीपत आदि
1. वीपत पुत्र भगवती 2. बजरंगी पुत्र झिगई 3. जगदम्बा 4. चिन्ताराम पुत्रगण छबिलाल साकिनान मौजा अमौली तप्पा बनगवा परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला–बस्ती
तारीख पेशी 29–04–2025
अपील बनराजी अदालत मुकाम मयरिखा महीना सन् 20 ई0 रेस्पान्डेन्ट
इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 29 महीना 04 सन 2025 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है।
अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी।
आज बतारीख 15 माह 04 सन 2025 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।
द0 हाकिम

कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, नौगढ़, सिद्धार्थनगर

पत्रांक–ख0शि0अ0/प्रे0वि0/2025–26 दिनाँक 09 अप्रैल 2025

प्रेस–विज्ञप्ति

सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर के पत्रांक–समग्रशि0/नि0का0/9975–78/2024–25 दिनाँक 19 फरवरी 2025 द्वारा विकास खण्ड–नौगढ़ के निम्नलिखित प्राथमिक, उ0 प्रा0वि0 के मूल भवन / अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, जर्जर घोषित करते हुए, नीलामी करने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिनका विवरण निम्नवत है–

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	जर्जर भवन का प्रकार	न्यूनमत दर	क्र. सं.	विद्यालय का नाम	जर्जर भवन का प्रकार	न्यूनमत दर
1	प्रा0वि0–थरौली	मूलभवन	0.87	20	प्रा0वि0–बड़गो	02 अतिरिक्तकक्षा–कक्ष	0.44
2	कम्पो0वि0 महदेवा बाजार	03 अतिरिकाकक्षा–कक्ष	0.82	21	पू0मा0वि0–भीमापार	मूलभवन	0.63
3	कम्पो0वि0 गौहनिया	03 अतिरिक्तकक्षा–कक्ष	0.79	22	प्रा0वि0–परसोहिया	3 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	1.28
4	प्र.वि.–परासपिंडा	मूलभवन	0.86	23	प्रा0वि0–बसौना	मूलभवन	1.29
5	कम्पो0वि0 सिसवाग्रांट	मूलभवन	1.02	24	प्रा0वि0–बेलवा महदेवा 1	मूलभवन	0.82
6	प्र.वि.–कंचनपुर	अतिरिक्तकक्षा–कक्ष	0.72	25	कम्पो0वि0–करौली	मूलभवन	1.5
7	प्रा0वि0–पकड़ी खास	अतिरिक्तकक्षा–कक्ष/किचन	0.3	26	प्रा0वि0–बचड़ा–बचड़ी	मूलभवन	0.84
8	कम्पो0वि0–गनेरा	मूलभवन	0.49	27	प्रा0वि0–सिसवाग्रांट	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	0.21
9	प्रा0वि0–बरगदवा	मूलभवन	0.78	28	प्रा0वि0–हरदासपुर	02 अतिरिक्तकक्षा–कक्ष	0.53
10	प्राथमिक विद्यालय–नगवा	मूलभवन/02 अतिरिक्तकक्षा–कक्ष	1.16	29	कम्पो0वि0–रामपुर	मूलभवन	0.32
11	प्रा0वि0–बेलोहा	04 अतिरिक्तकक्षा–कक्ष	1.22	30	प्रा.–बसठा	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	0.37
12	प्रा0वि0–तखवा पोखर	मूलभवन	0.69	31	कम्पो0 वि0–पटनी जंगल	2 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	0.31
13	प्रा0वि0–बेल्टीकर	मूलभवन	0.48			2 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	0.31
14	प्रा0वि0–वेलसड़	अतिरिक्तकक्षा–कक्ष	0.42	32	प्रा0वि0–बरौहिया खालसा	2 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	0.71
15	प्र.वि.–पारानानकार	03 अतिरिक्तकक्षा–कक्ष	1.05	33	प्रा0वि0–बभनी	2 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष एवं रसाईघर	1.05
				34	कम्पो0 कनुआडीह	मूलभवन	0.65
16	कम्पो0वि0– खलीलपुर	मूलभवन	0.79	35	प्रा0वि0 अहिरवन डीह	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	0.35
17	कम्पो0वि0–कुशभौना	मूलभवन	1.03	36	प्रा0वि0–कन्दवा बाजार	मूलभवन	0.55
18	कम्पो0वि0–बसोनी	अतिरिक्तकक्षा–कक्ष	0.36	37	कम्पो0वि0–नौगढ़	मूलभवन गुम्दाकार	0.82
19	प्रा0वि0–मल्हा रखिहवा	मूलभवन	0.84				

उक्त समस्त विद्यालयों को जर्जर घोषित करते हुए नीलामी दिनाँक 23.04.2025 को अपराह्न 12:00 बजे स्थान–कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, नौगढ़, सिद्धार्थनगर में होना सुनिश्चित है। नीलामी प्रक्रिया में बोली लगाने के इच्छुक व्यक्ति / संस्था निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत नगद रूप में नीलामी समिति के पास जमा कर नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकते हैं। अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति / संस्था भवन नीलामी के लिए अधिकृत होंगे। शेष सभी व्यक्ति / संस्था को उनके द्वारा जमा धनराशि उसी दिन वापस कर दी जायेगी।

(धर्मेन्द्र कुमार पाल)
खण्ड शिक्षा अधिकारी नौगढ़,
सिद्धार्थनगर

पत्रांक–ख0शि0अ0/प्रे0वि0/13–19/2025–26 तद्दिनांक

दैनिक
भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।
प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय– चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय– आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय– इलाहीबाग गोरखपुर।
मो09450567450 9336715406,
ई.मेल**bhartiyabasti@yahoo.com**
bhartiyabasti@gmail.com